

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/ 214.

दिनांक:- 3/5/16

### आदेश

मण्डल की आवासीय योजनाओं में नीलामी, खुली बिक्री एवं आवंटित भूखण्ड, आवास, प्लेट आदि सम्पत्तियों के पंजीयन प्रपत्र (रजिस्ट्री पेपर्स) वर्तमान में मण्डल द्वारा आवंटी के आवेदन करने पर जारी किये जाते हैं। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है।

समस्त पंजीयन प्रपत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नीलामी, खुली बिक्री एवं आवंटित भूखण्ड, आवास, प्लेट आदि सम्पत्तियों के पंजीयन प्रपत्र द्वारा आवंटन के विरुद्ध आवंटी द्वारा समस्त वांछित राशि जमा करवाने के उपरान्त क्रेताओं के पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही पंजीयन प्रपत्र भी अविलम्ब जारी करवाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओपीओ मीणा)

अध्यक्ष/आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. मुख्य राजस्व अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. सम्पदा प्रबन्धक (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0 .....
9. समस्त आवासीय अभियन्ता, रा0आ0म0 .....
10. समस्त सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-....., रा0आ0म0, .....
11. प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
12. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक